

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट

मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मेरठ।

संख्या- 1190 / एसटी-नगर/कोविड-19,

दिनांक- 20 जून, 2020

Sub. Regarding Machanism/modalities for opening of Courts subordinate to High Court of judicature at Allahabad.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय के पत्र संख्या-1221/प्रथम, दिनांकित 06.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्कम में अपर नर मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन), मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन), मेरठ के पत्र संख्या-1725/पेशकार-2020, दिनांकित 18.06.2020 में स्पष्ट किया गया है कि 'कचहरी परिसर (कोर्ट कम्पाण्ड), मेरठ' कन्टेनमेन्ट जोन की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। उक्त पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः उक्तानुसार अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन), मेरठ की उपरोक्त आख्यानुसार एंव अद्यतन सूचना के अनुसार 'कचहरी परिसर (कोर्ट कम्पाण्ड), मेरठ' कन्टेनमेन्ट जोन की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)

मेरठ।

प्रतिलिपि-

- 1- मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)

मेरठ।

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिविल लाईन) मेरठ।

संख्या 1725/ पेशकार- 2020

दिनांक 18-06-2020.

अपर जिलाधिकारी(नगर)
मेरठ।

Sub-Regarding Machanism / modalities for opening of Courts
Subordinate to High Court of Judicature at Allahabad.

महोदय,

अवगत कृपया उपरोक्त अपने पत्र संख्या 1175/एसटी-नगर /कोविड-19
दिनांक 11 जून 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के क्रम में अवगत कराना है
कि 'कचहरी परिसर (कोर्ट कम्पाउण्ड) मेरठ कण्टेनमेण्ट जोन की सीमा के अर्न्तगत नहीं
आता है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्न- पुलिस द्वारा पत्र

अपर नगर मजिस्ट्रेट(सि०ला०)
मेरठ।